

26.04.2024 को अंतिम अद्यतन

नियमावली -13

रियायतों, अनुमति या प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं के विवरण

(धारा 4 (1) (बी) (xiii))

लाभार्थियों की सूची

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम और पता	प्रदान की गई रियायत/अनुमति/प्राधिकरण की प्रकृति	जिस उद्देश्य के लिए दी गई	चयन के लिए योजना और मानदंड	उद्देश्य के साथ अतीत में दी गई समान रियायत की संख्या
1	रक्षा कर्मी	शस्त्र अधिनियम 1959 में प्रावधानों के अनुसार रक्षा कर्मियों के लिए लाइसेंस शुल्क और नवीनीकरण शुल्क में छूट दी गई है।	लाइसेंस शुल्क के साथ-साथ लाइसेंस के अनुदान के लिए नवीनीकरण शुल्क और गन/राइफल के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण और रिवाल्वर/पिस्टल के लिए जैसे कि निर्धारित अंडर आर्म्स नियम -2016 को रक्षा कार्मिक के मामले में छूट दी गई है।	रक्षा कार्मिक के सभी मामलों में दी गई सब्सिडी/छूट	----